169 दि० 10/3/18, Hindustan Times

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या-1, सैक्टर नालेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला गौतमबुद्ध नगर, उ. प्र.
ई-मेल: authority@gnida.in वेबसाइट: www.greaternoidaauthority.in

ठोस अपशिष्ठ (प्रबन्धन एवं हस्तन) नियम–2016 के अनुपालन के क्रम में सूचना

समस्त ग्रेटर नौएडा स्थित Bulk Waste Generators (से अभिप्रेत है वे औसतन 100 कि.ग्रा. प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट उत्पादित करते है, जिसमें केन्द्रीय सरकार के विभाग अथवा उपक्रम या राज्य सरकार के विभाग या उपक्रम, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक या प्राइवेट सैक्टर की कंपनियां, अस्पताल, नर्सिंग होम, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अन्य शैक्षिक संस्थाए, छात्रावासों, होटलों, कामर्शियल संस्थाऐं, बाजार, पूजा स्थलों, स्टेडियम और खेल परिसर, ग्रुप हाउसिंग सोसाईटियों इत्यादि है) को नोटिस के माध्यम से यह सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर अपने–अपने स्तर से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत जारी Solid Waste (Management & Handling) Rules, 2016 के उपनियम 3 (8), (44), 4(1-a), (6), (7) & (8) के अनुपालन के तहत अपने जनित अपशिष्ट को पृथक–पृथक करके जैविक अपशिष्ट को अपने स्तर पर ही वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा निष्पादित किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त ठोस अपशिष्ठ (प्रबन्धन एव हस्तन) नियम, 2016 के उपनियम 22 के अनुसार प्रश्नगत अनुपालन को अप्रैल, 2018 से पहले सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है।

उपरोक्त नियम का उल्लंधन पाये जाने पर Bulk Waste Generators के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा–15 के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी उक्त Bulk Waste Generators की स्वयं की होगी। इस सम्बन्ध में वरिष्ठ प्रबन्धक (स्वास्थ्य), सी–ब्लॉक मार्केट, सैक्टर अल्फा–1, ग्रेटर नौएडा के कार्यालय से सम्पर्क कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

वरिष्ठ प्रबन्धक (स्वास्थ्य)
ग्रेटर नौएडा औ0 वि0 प्राधिकरण

Scanned by CamScanner